

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

218/18

बनाम

शिवरी

किस्म मुकदमा :- 88/188 R.T.A, 136 L.R.A.

प्रकरण संख्या 62 सन् :- 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.4.18	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियके नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 21.5.18 को पेश हो।</p> <p><u>l.</u></p> <p>न्याय आयोग द्वारा अभियान - 2019</p> <p>कैम्प कोर्ट :- प्रावशिमा</p> <p>पत्रावली के लिये कोर्ट प्रावशिमा के द्वारा प्रतिवादी 1 से 6 व 8 स्वयं ने उपस्थित हो कर स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया व जाहिसे कि प्रतिवादी 7 व 9 ना.बा. है जिन्हें तलब के शरत कोर्ट को प्रतिवादी 7 व 9 के जवाब पेश किए जायेंगे।</p> <p>वादी ने उपलब्ध पेशवा निवेदन कि जज प्रावशिमा के खाला क्रमा 77/91 क्रि. 32 क्रमा 0181 व 292/379 क्रि. 22 क्रमा 0185 को कारणों जवाब पूरा जाला को पुरतैनी है। ना.क्र 357 / 18-5-16 विराहत के तलबीक अर्थात् जज वादी का तलब दी रही कि जज</p>	

जबकि वही जवाब का हुआ है तो वादग्रस्त आरजी पर उपाय
को एक व अधिका (विहित है) आर वादग्रस्त आरजी प्रकृति
का नाम को दर्ज किया जावे।

उपाय को का अवलोकन व अनुशीलन किया
उपाय के तहत या तबत किया वादग्रस्त आरजी को
उत्तिवादीगत को खोलेगी दे कर है किहो सहायता दे है
कि वही का नाम उपाय के तहत को दर्ज का किया जावे।
शेष वैशेष्य के भी बाद का कोई खर्च नहीं किया है।
कोई का नाम दर्ज करने के उत्तिवादीगत के दिना वरकोई
विपरिम उपाय नहीं पड़ेगा। उत्तिवादी 7 व 8 का विगत है
तथा जे वादग्रस्त आरजी किही भी के दे रख ली
है अतः उत्तिवादी 10 को तलबी को आवश्यकता नहीं है
वही आरजी प्रकृति या नाम दर्ज करने का अधिका
है।

उपायगत उपाय आवधिकता को आरजी प्रकृति या वही
का बाद 0 स्वीकार किया जाता है। उपाय आवधिकता के
खाला के 77/91 किता 3 शकबा 0.81 व खो, द.
292/379 किता 2 शकबा 0.05 की आरजी या
दो, शिवरी, उपारका पि, जुवारा के दिना के
शामयुक्त पि जुवारा का नाम को दर्ज किया जावे।
पलवा रवली स्वयं बहन कोरा उपाय आरजी को
पलवा दिनी जरी हो। पञ्जावली पैपल गुणार हो
का शकबा के बाद हो व वाबिल दगाहो।

॥
पाठासन अधिकारी
लोक अर्बलन कैम्प कोर्ट
शिवरी

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :- झडवासा
प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इब्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

रामप्रसाद बनाम शिवजी


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955, 136 भू रा.अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 62/2018

पेश करने की दिनांक - 26.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम मावशिया की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम मावशिया के खाता संख्या 77/91 किता 3 रकबा 0.81 व खाता संख्या 292/379 किता 2 रकबा 0.05 की आराजी पर छोटू शिवजी, ग्यारसा पि. जुवारा के हिस्से में रामप्रसाद पि० जुवारा का नाम भी दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 21 माह मई सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला


स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद